कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 275/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 15.07.2026

थाना- अतरौलिया, जनपद- आजमगढ़
अतरौलिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई ; अवैध तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध शस्त्रों के निर्माण, तस्करी व अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।

आज दिनांक 15 जुलाई, 2026 को उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान बूढ़नपुर चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम भीलमपुर छपरा स्थित खंडहर मकान के पास घेराबंदी कर सुनील यादव पुत्र रामकरन यादव**,** निवासी ग्राम एकडंगी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष**,** को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **एक अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद** हुआ। अभियुक्त को समय करीब **02:10 बजे** पुलिस हिरासत में लेकर थाना अतरौलिया पर **मु0अ0सं0- 0278/2026**, धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुनील यादव पुत्र रामकरन यादव**,** निवासी ग्राम एकडंगी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 0278/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 396/2025, धारा 115(2), 324(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा, का0 राकेश विश्वकर्मा, का0 राजकरन सोनकर, का0 उमेश कुमार, रि0का0 अजय कुमार सिंह, रि0का0 अभिषेक मिश्रा थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक – 15 जुलाई, 2026
थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़

जमीनी विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त दो लाठी व एक लोहे की रॉड बरामद, अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जमीनी विवाद में जानलेवा हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त दो लाठी एवं एक लोहे की रॉड बरामद की गई।

दिनांक 14.07.2026 को वादिनी श्रीमती मालती देवी पत्नी गरीब यादव निवासी ग्राम टेल्हुआ चकवली, थाना जहानागंज की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण ने एकराय होकर वादिनी के पति गरीब यादव (75 वर्ष) एवं पुत्र रामअशीष यादव (35 वर्ष) पर धारदार हथियार एवं लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

दिनांक 15.07.2026 को उपनिरीक्षक गौरव कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना जहानागंज परिसर से अभियुक्त **केदारनाथ यादव, रामअधार यादव, सर्वेश उर्फ फिरींगी, अनिल उर्फ रामविलास एवं अवधेश यादव** को समय करीब 01:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो लाठी एवं एक लोहे की रॉड बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

पंजीकृत अभियोग:
1- मु0अ0सं0 150/2026, धारा 115(2), 109(1), 118(1), 131, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS), थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. केदारनाथ यादव पुत्र स्व. रामदेव यादव, उम्र लगभग 58 वर्ष
2. रामअधार यादव पुत्र स्व. रामदेव यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष
3. सर्वेश उर्फ फिरींगी पुत्र केदारनाथ यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष
4. अनिल उर्फ रामविलास पुत्र स्व. लालचंद यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष
5. अवधेश यादव पुत्र स्व. फूलचंद यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष

   सभी निवासी: ग्राम टेल्हुआ चकवली, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 02 अदद लाठी
- 01 अदद लोहे की रॉड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: उ0नि0 गौरव कुमार सिंह, हे0का0 कृष्ण देव, का0 अलाऊद्दीन, का0 शैलेष यादव एवं का0 अभिषेक कुमार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-09.08.2017 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त नन्द लाल पुत्र राम सिंगार निवासी सहबरिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 8 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-204/2017 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 15.07.2026 को मा0 न्यायालय FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नन्द लाल पुत्र राम सिंगार निवासी सहबरिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-07.05.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रमेश यादव थानाध्यक्ष जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर जी कि अभियुक्त 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 248/2008 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-15.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/ एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।